न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 59/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/74

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	अभियुक्त :– भरत पाटीदार पुत्र श्री गोकुलजी पाटीदार मैसर्स पाटीदार रजवाडी चाय, कलेक्ट्री गेट के सामने, सुरपुर कोम्प्लेक्स, बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12–12–2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा हाल सिरोही (राज) के द्वारा दिनांक 25–11–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 25–02–2022 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स पाटीदार रजवाडी चाय, कलेक्ट्री गेट के सामने, सुरपुर कोम्प्लेक्स, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **भरत पाटीदार पुत्र श्री गोकुलजी पाटीदार** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **चाय (ब्राण्ड पाटीदार रजवाडी) के 500–500 ग्राम के 18 पैकेट** आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिलावट का शक होने पर वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए उक्त **चाय (ब्राण्ड पाटीदार रजवाडी) के चार पैकेट** विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गए तथा इनकी कीमत 600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। खरीद किये गये **चाय (ब्राण्ड पाटीदार रजवाडी) के चार पैकेट** पर डी.ओ एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-964 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमुना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डी.ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.ए ए/2022/99–100 दिनांक 24.03.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशा[illegible] बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 262 दिनांक 15.03.2022 अनुसार विक्रेता से वास[illegible] नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **चाय (ब्राण्ड पाटीदार रजवाडी)** Sub-standard food unde[illegible] section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 होना पाया। विक्रेता द्वारा **चाय (ब्राण्ड पाटीदार रजवाडी)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 28–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 12.12.2022 को अभियुक्त ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। डी. ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2022/99–100 दिनांक 24.03.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 262 दिनांक 15.03.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **चाय (ब्राण्ड पाटीदार रजवाडी)** Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 होना पाया। विक्रेता द्वारा **चाय (ब्राण्ड पाटीदार रजवाडी)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा ए[illegible] धारा 3(1)(ZX) के तहत सब स्टेण्डर्ड की गई चाय (ब्राण्ड [illegible] करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 20[illegible] उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अ[illegible]यम–2006 व नियम 2011 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर भरत पाटीदार पुत्र श्री गोकुलजी पाटीदार मैसर्स पाटीदार रजवाडी चाय, कलेक्ट्री गेट के सामने, सुरपुर कोम्प्लेक्स, बाँसवाड़ा को 10000/- (अक्षरे रू. दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाड़ा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेश बुनकर 12/12/2022

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner